न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
1/18	अपील इन्त० नं० 367	पीथपुर	छीपाबड़ौद

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रतनलाल	बनाम	सरपंच ग्रा० पंचायत [illegible]

आदेश पत्रक

वकील :-　　　　　　　　वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
8-3-18	अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नं. 367 विरुद्ध रेस्पो० के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट तहसील का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर रेस्पो० को अर्ज नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11-4-18	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उप० रेस्पो० की तलबी हेतु Rep. Act का तलबाना पेश करे। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 16-5-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	(हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत पीथपुर पं.स. छीपाबड़ौद जिला बारां	सीमा [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत पीथपुर पं.स. छीपाबड़ौद जिला [illegible]
3-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पीथपुर पर आज पेश हुई रेस्पो० नं. 1 व 2 स्वयं उप० रेस्पो० नं. 2 तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट जो की गयी किन्तु उक्त सरपंच ग्राम पंचायत पीथपुर द्वारा की गयी अपीलान्ट व रेस्पो० को सुना गया। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा० सि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील वकील के दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पीथपुर
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 1/18 दावा
दायरा दिनांक :– 08.03.2018
निर्णय दिनांक :– 03.05.2018

उनवान

रतनलाल पुत्र अमरा जाति भील निवासी पीथपूर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पीथपूर
2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

अपील इन्तकाल नंबर 367 दिनांक 17.12.1998
निर्णय दिनांक :– 03.05.2018

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्काल नंबर 367 दिनांक 17.12.1998 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई, कि आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 11.06 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 150 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नंबर 157 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 158 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 159 रकबा 3. 06 बीघा, खसरा नंबर 160 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नंबर 161 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नंबर 162 रकबा 10 बिस्वा, कुल किता 9 रकबा 29.13 बीघा मौजा पीथपूर तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है। जिसमें हिस्सा 1/8 से खातेदार मथरी पुत्र लाला कौम भील से दर्ज जमाबन्दी थी। खातेदार मथरी द्वारा अपने हिस्से की आराजी की वसियत अपीलान्ट के पक्ष मे करके वसियत नामा को दिनांक 28.04.1997 पुस्तक नंबर 3 जिल्द संख्या 3 पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2197 पर सब रजिस्टार छीपाबड़ौद के यहां पंजीबद्व करवा दिया। इसके बाद खातेदार मथरी का स्वर्गवास दिनांक 04.08.1998 को हो जाने से मथरी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे आलेखित व रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 28.04.1997 प्रभाव मे आ जाने से वसीयत नामा के आधार पर एक इन्तकाल नंबर 367 ग्राम पीथपूर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा निर्णित किया, जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम अमरा के स्थान पर घासी दर्ज कर दिया। उक्त इन्तकाल की अप्रसन्नता से उक्त अपील अन्य के अलावा निम्न आधार पर पेश है।

रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा इन्तकाल संख्या 367 ग्राम पीथपूर निर्णित करते समय वसीयत नामा मे वर्णित तथ्यो का पूर्ण रूप से अवलोकन नही किया गया, और वसीयत नामा रतनलाल पुत्र अमरा कोम भील सा.देह पीथपूर के पक्ष मे आलेखित होने के बावजूद भी इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम रतनलाल पुत्र घासी दर्ज कर दिया। इसलिए उक्त इन्तकाल पृथम दृष्टया की काबिल निरस्तनिय है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा निर्णित इन्तकाल संख्या 367

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

ग्राम पीथपूर में अपीलान्ट का नाम रतनलाल पुत्र घासी दर्ज हाने से तथा अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज में नाम रतनलाल पुत्र अमरा व वसीयतनामे मे भी अपीलान्ट का नाम रतनलाल पुत्र अमरा ही दर्ज होने से इन्तकाल भी इसी आधार पर निर्णित करना चाहिये था। लेकिन रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा मनमाने तौर पर इन्तकाल निर्णित करने मे कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा निर्णित इन्तकाल का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 06.03.2018 को होने पर उक्त अपील की जानकारी की तिथि से अवधी मध्य स्वीकार फरमायी जावे, तथा अपील की प्रस्तुति में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का पेश कर अपील अवधी मध्य स्वीकार फरमाने की प्रार्थना है। अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल इन्तकाल नंबर 367 ग्राम पीथपूर, नकल जमाबन्दी ग्राम पीथपूर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 74, नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र मथरीबाई, नकल ग्राम पंचायत पीथपूर का प्रमाण–पत्र, नकल वसीयत नामा पेश की गई।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प पीथपूर पर रखा गया । पक्षकारान् को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प पीथपूर पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। केम्प मे उपस्थित तहसीलदार छीपाबड़ौद व सरपंच ग्राम पंचायत पीथपूर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे बताया कि रतनलाल के सगे भाई भवरलाल पुत्र अमरा व घासी के पुत्र रामप्रसाद रूपचन्द से जानकारी अनुसार घासी, अमरा, रोडू के पिता का नाम लाला था, व मृतक लाला की पुत्री का नाम मथरी था, जिसके द्वारा वाद मे संलग्न वसीयत की गई है। घासी के पुत्र प्रभूलाल, रामदयाल है। पुत्रीयां भवरी, पाना, जमना, मांगीबाई है। घासी की बहन फोत हो चुकी है। अमरलाल के वारिसान भवरलाल, रतनलाल, रामकिशन, रामनारायण पुत्र, सुरजीबाई, कंचनबाई पुत्रीयां है। भवरलाल की पत्नी फोत हो चुकी है। रोडू के वारिसान प्रभू हीरालाल भैरू पुत्र सारू रामचन्द्री कस्तूरी, धन्नी, रामप्यारी है। रोडू की पत्नी भी फोत हो चुकी है, उक्त वसीयत रतनलाल पुत्र अमरा के नाम से ही की गई है, जिसका नामान्तकरण नंबर 367 वसीयत दिनांक 28.04.1997 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा रतनलाल आत्मज अमरा भील के नाम से दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत पीथपूर के फैसले में रतनलाल पुत्र अमरा के स्थान पर रतनलाल पुत्र घासी के नाम फैसल नामान्तकरण किया गया। रतनलाल के सह खातेदारान व सगे सम्बन्धियों से जानकारी के अनुसार रतनलाल के पिता का नाम अमरा है। घासी के रतनलाल नाम का कोई पुत्र नही है। वसीयतकर्त्ता के पुत्रो व पोत्रो मे से एक पुत्र का नाम अमरलाल है, लेकिन उसके पोत्र का नाम रतनलाल नही है। सरपंच ग्राम पंचायत पीथपूर द्वारा भी रतनलाल के पिता का नाम अमरा होना जाहिर किया है।

तहसीलदार छीपाबड़ौद की जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत रिकार्ड वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण–पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत पीथपूर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर ये साबित होता है, कि रतनलाल के पिता का नाम अमरा था। वसीयत नामे मे भी वसीयतकर्त्ता द्वारा भी रतनलाल पुत्र अमरा के नाम से वसीयत की है, परन्तु वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोलते समय रतनलाल के पिता का नाम घासी दर्ज कर दिया गया था, जबकि रतनलाल के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वास्तविक नाम अमरा था। रतनलाल के अन्य दस्तावेजात मे भी पिता का नाम अमरा दर्ज है। इससे यह साबित होता है, कि रतनलाल के पिता का नाम अमरा है, घासी नही। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल नंबर 367 खारिज किया जाकर मुताबिक वसीयतनामा अनुसार नामान्तकरण खोलने के आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पीथपुर पर स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नंबर 367 ग्राम पीथपुर निरस्त किया जाता है। तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है, कि वसीयत नामा दिनांक 28.04.1997 की जांच कर पुनः नामान्तकरण खोलाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner